मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 19, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10:33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित होने पर अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रश्नकाल के पूर्व, सर्वश्री सुन्दरलाल तिवारी एवं निशंक कुमार जैन, सदस्यगण द्वारा आसंदी की अनुमति के बिना लगातार बोलने एवं अखबार हिलाकर प्रदर्शन करने से कार्यवाही में व्यवधान हुआ. इस पर आसंदी से निर्देश दिया गया कि "आप प्रश्नकाल बाधित न करें. प्रश्नकाल चलने दीजिए. आप सदन में अखबार नहीं हिला सकते, इसे नीचे रखिए. यह नहीं लिखा जायेगा."

अध्यक्ष महोदय के निर्देश के बावजूद श्री तिवारी द्वारा लगातार व्यवधान करने पर श्री बाबूलाल गौर, मंत्री महोदय द्वारा माननीय सदस्य का यह कृत्य अनुशासनहीनता इंगित किये जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री सुन्दरलाल तिवारी के नाम का उल्लेख करते हुए यह व्यवस्था दी गई कि – "अपने स्थान पर बैठ जाएं. मुझे कोई भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य न करें. आप नियम पढ़ लें कि जब नाम लेकर बोला जाता है, तब क्या होता है ! आपका तरीका ठीक नहीं है, आप दूसरे सदस्यों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं."

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 5 ,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 47 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 63 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. बहिर्गमन

श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य द्वारा प्राचार्य को अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा के प्रभार से हटाये जाने संबंधी प्रश्न संख्या 10 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने हज यात्रा के नाम से ट्रेवलिंग एजेंसियों के संचालकों द्वारा यात्रियों के साथ धोखाधड़ी किये जाने संबंधी सूचना पढ़ी हुई मानी गई.

(2) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य ने छतरपुर जिले में छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता होने,

(3) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य ने खंडवा जिले के पुनासा क्षेत्र में घटिया नलजल योजना का कार्य किये जाने तथा

(4) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य ने रीवा जिले के गौरी में संचालित नलजल योजनाओं से पेयजल की आपूर्ति न होने, सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की गईं.

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष द्वारा बिना स्वीकृति के शून्यकाल में सूचना पढ़ने पर अध्यक्ष महोदय ने उनके द्वारा उठाये गये विषय को विलोपित करते हुए नियमानुसार सूचना देने का निर्देश दिया.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अंतर सिंह आर्य, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 में की गई अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन पटल पर रखा.

7. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन में लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तदनुसार –

(1) श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य ने बुरहानपुर जिले में ग्रामीण सड़कों के समीप ओ.एफ.सी. लाईन डालने में नियमों का पालन न किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री घनश्याम पिरोनियाँ, सदस्य ने भिण्ड जिले के मिहोना-लहार-दबोह-भाण्डेर, चिरगांव मार्ग निर्माण में अनियमितता होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्यमंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन ने इस पर वक्तव्य दिया.

(3) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले में सिंचाई हेतु हरेरी नहर क्षतिग्रस्त होने की ओर राज्य मंत्री, नर्मदा घाटी विकास का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(4) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने शिवपुरी जिले के पिछोर एवं खनियाधाना तहसील को सूखा-ग्रस्त घोषित न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

8. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अष्टम् प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री रामप्यारे कुलस्ते, सभापति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :--

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्रमांक	माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक - 3	सुश्री उषा ठाकुर	50 मिनिट
2.	क्रमांक - 20	श्री रामनिवास रावत	50 मिनिट
3.	क्रमांक - 4	श्री संजय पाठक	25 मिनिट
4.	क्रमांक - 12	श्री केदारनाथ शुक्ल	25 मिनिट

श्री रामप्यारे कुलस्ते, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के अष्टम् प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत की गई :-

(1) श्री वीर सिंह पवार (जिला-विदिशा)
(2) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(3) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)

10. लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्यमंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन ने दिनांक 23 जुलाई, 2015 को लोक निर्माण मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 719) एवं तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 361) के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

(मध्याह्न 12.26 से अपराह्न 2.36 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

11. वर्ष 2015-16 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 74 तथा 75 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पांच हजार पांच सौ पच्चीस करोड़, एक लाख, छ: हजार, आठ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री मुकेश नायक
(2) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(3) डॉ. गोविन्द सिंह
(4) श्री शैलेन्द्र जैन
(5) श्री सुन्दरलाल तिवारी

12. अध्यक्षीय व्यवस्था
अनुपूरक अनुमान पर चर्चा के दौरान, दो माननीय सदस्यों के मध्य वाद-विवाद होने विषयक

अनुपूरक अनुमान पर श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य के भाषण के दौरान, सर्वश्री के.के. श्रीवास्तव एवं जितू पटवारी, सदस्यगण के मध्य तीखी नोकझोंक एवं आवेशपूर्ण टिप्पणियां करने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि – "यहां व्यक्तिगत वाद-विवाद नहीं होगा. यह सब कार्यवाही से विलोपित किया जाता है." दोनों माननीय सदस्यों द्वारा आसंदी के निर्देश का पालन करते हुए परस्पर अच्छा व्यवहार रखने हेतु सदन को आश्वस्त किया गया.

13. वर्ष 2015-16 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(6) श्री दिलीप सिंह शेखावत
(7) श्री सुखेन्द्र सिंह
(8) श्रीमती ऊषा चौधरी
(9) डॉ. मोहन यादव
(10) श्री दिनेश राय
(11) श्री जयवर्द्धन सिंह
(12) श्रीमती ममता मीना
(13) श्री रजनीश हरवंश सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(14) श्री दुर्गालाल विजय
(15) श्री शैलेन्द्र पटेल
(16) श्री आरिफ अकील
(17) डॉ. योगेन्द्र निर्मल
(18) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(19) श्री मधु भगत
(20) श्री सोहनलाल बाल्मीक

14. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से वर्ष 2015-16 की तृतीय अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने एवं विनियोग विधेयक पारित होने तक सदन के समय में वृद्धि संबंधी घोषणा की गई.

15. वर्ष 2015-16 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(21) श्री कमलेश्वर पटेल

सभापति महोदय (श्री ओमप्रकाश सखलेचा) पीठासीन हुए.

(22) श्री लाखन सिंह यादव
(23) श्री हरदीप सिंह डंग

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(24) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(25) श्री जितू पटवारी
(26) श्री वेलसिंह भूरिया
(27) श्री सत्यप्रकाश सखवार
(28) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(29) श्रीमती झूमा सोलंकी
(30) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल
(31) डॉ. रामकिशोर दोगने
(32) कुंवर विक्रम सिंह
(33) श्री यादवेन्द्र सिंह
(34) श्रीमती शीला त्यागी
(35) कुंवर सौरभ सिंह
(36) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(37) श्री सचिन यादव
(38) श्रीमती चन्दा सिंह गौर
(39) श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2015 (क्रमांक 18 सन् 2015) पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 6) विधेयक, 2015 (क्रमांक 18 सन् 2015) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 7.06 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 (20 अग्रहायण, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपालः
दिनांकः 10 दिसम्बर, 2015